न्यायालयः अतुल यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिलवानी जिला रायसेन (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक : 386/2022
फा.नं. आर.सी.टी. 631/2022
सी.एन.आर. क्र. एम.पी.3809000682/2022
संस्थापन दिनांक 17/10/2022

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा,
थाना प्रभारी,
थाना सिलवानी जिला रायसेन म.प्र. ....अभियोजन

बनाम

हनुमतसिंह पिता नेतराम मेहरा,
उम्र 32 वर्ष,
निवारी ग्राम जैतपुर थाना सिलवानी जिला रायसेन म.प्र.
...............अभियुक्त

पुलिस थाना सिलवानी जिला रायसेन के अपराध क्रं. 325/2022 अन्तर्गत धारा 34 (1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उदभूत प्रकरण।

:::– नि र्ण य –:::

(आज दिनांक–17/10/2022 को घोषित)

1. अभियुक्त के विरूद्ध धारा–34 (1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का अभियोग इस आधार पर है कि उसने दिनांक 04/10/2022 को 12.10 बजे, थाना सिलवानी के अंतर्गत मुआर रोड ग्राम जैतपुर स्थित आरोपी हनुमतसिंह के टप के पीछे 21 पाव/क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन शराब बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे।

2. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किया जाना र्निविवादित तथ्य है।

3. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक को अभियुक्त के पास थैले में 21 पाव/क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन रखे मिले जिसके संबंध में लाइसेंस न होने से जप्ती पत्रक अनुसार जप्त की गयी तथा उक्त संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी को सूचना देने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को अपराध–विवरण की रचना कर अपराध की विशिष्टीयॉ पढकर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त का अभिवाक्

17/10/22

लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया।

5. प्रकरण के न्यायोचित निराकरण के लिए इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है :–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 04/10/2022 को 12.10 बजे, थाना सिलवानी के अंतर्गत मुआर रोड ग्राम जैतपुर स्थित आरोपी हनुमतसिंह के टप के पीछे 21 पाव/क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन शराब बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी ?

--:: **सकारण निष्कर्ष** ::--

विचारणीय प्रश्न कमांक 1

6. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है। उक्त स्वीकारोक्ति बिना किसी दबाब या प्रलोभन के प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा–34 (1)(क) के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है ।

7. अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा–34 (1)(क) के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1300/– रूपया के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त को एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

8. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ती 21 पाव/क्वार्टर देशी मदिरा प्लेन को अपील अवधि पश्चात् तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत किया जावे।

9. निर्णय की एक निशुल्क प्रति अभियुक्त को उपलब्ध करायी जावे।

10. प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. एवं आपराधिक पंजी में दर्ज कर निर्णय की प्रति सी.आई.एस. में अपलोड की जावे एवं प्रकरण के अभिलेख विधिवत् कार्यवाही उपरांत अभिलेखागार भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

17/10/22
(अतुल यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिलवानी जिला रायसेन म.प्र.

मेरे निर्देशन पर टंकित।

17/10/22
(अतुल यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सिलवानी जिला रायसेन म.प्र.

टंकनकर्ता–रामेश्वर साहू– साक्ष्य लेखक

ATUL YADAV
Digitally signed by ATUL YADAV
Date: 2022.10.17 17:04:10 +0000